

**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर**

1. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-30/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2016/2013/भरतपुर) 3. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-32/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2018/2013/भरतपुर)

2. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-31/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2017/2013/भरतपुर) 4. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-33/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2019/2013/भरतपुर)

मैसर्स ऐरन ऑयल इण्डस्ट्रीज मथुरा रोड़, भरतपुर. ....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. ....अप्रार्थी.

5. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-34/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2174/2013/भरतपुर) 7. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-36/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2176/2013/भरतपुर)

6. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-35/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2175/2013/भरतपुर) 8. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-37/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2177/2013/भरतपुर)

मैसर्स श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज,  
जी-213, ब्रिज इण्डस्ट्रियल एरिया, भरतपुर. ....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. ....अप्रार्थी.

9. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-38/2014/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2125/2013/भरतपुर)

मैसर्स श्री हीरा तेल उद्योग,  
एफ-30, ब्रिज इण्डस्ट्रियल एरिया, भरतपुर. ....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. ....अप्रार्थी.

10. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-39/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2048/2013/भरतपुर) 12. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-41/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2050/2013/भरतपुर)

11. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-40/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2049/2013/भरतपुर) 13. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-42/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2051/2013/भरतपुर)

मैसर्स गोवर्धन ऑयल मिल्स, ब्रिज इण्ड0 एरिया, भरतपुर. ....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. ....अप्रार्थी.

14. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-43/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2052/2013/भरतपुर) 15. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-44/14/भरतपुर. (सम्बन्धित अपील संख्या-2053/2013/भरतपुर)

मैसर्स राम इण्डस्ट्रीज (ऑयल सेक्शन), भरतपुर. ....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. ....अप्रार्थी.

**खण्डपीठ**

**श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य**

**श्री मदन लाल, सदस्य**


उपस्थित : :


श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रार्थीगण की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/5/2014

लगातार.....2







### निर्णय

ये सभी परिशोधन प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण (अपीलार्थी) द्वारा इस पीठ के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83(10) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.01.2014/22.01.2014 में संशोधनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं। सभी परिशोधन प्रार्थना-पत्रों में समान विवादास्पद बिन्दु अन्तर्वलित हैं, अतः एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के विभिन्न वर्षों में केन्द्रीय विक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) के तहत पारित कर निर्धारण आदेशों में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत घोषणा-पत्रों को बोगस मानते हुए अन्तर कर, ब्याज व करापवंचन मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्तियां आरोपित की गई। इन आदेशों के विरुद्ध अपीलें दायर करने पर अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) ने अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं कराये गये ब्याज व शास्तियों में से शास्ति की वसूली वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत स्थगित की, लेकिन ब्याज राशियों को उनके आदेश दिनांक 28.10.2013 से 7 दिवस में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे। अपीलीय अधिकारी के आदेशों को कर बोर्ड की खण्डपीठ के समक्ष चुनौती दिये जाने पर खण्डपीठ ने अपीलें अस्वीकार कर दी। इस निर्णयों में संशोधन हेतु ये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

प्रार्थना-पत्रों पर प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री डी.कुमार तथा अप्रार्थी राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि विवादित अपीलों में खण्डपीठ के समक्ष तर्क दिया गया था कि अपीलीय अधिकारी ने आदेश में ब्याज राशि का स्थगन नहीं देकर यह राशि 7 दिन में जमा कराने के निर्देश दिये गये थे। ये निर्देश अपीलीय अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर थे तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित ब्याज, जो कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2बी) सपठित वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत आरोपित किया गया था, कर निर्धारण से पूर्व अवधि के लिये अतिरिक्त मांग पर आरोपित करना अविधिक था, तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये थे :-




लगातार.....3

—: 3 :- 1-15. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-30/14 से 44/2014/भरतपुर.

1. (1965) 16 एस.टी.सी. 318 (एस.सी.) स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य बनाम घासीलाल
2. (1981) 48 एस.टी.सी. 466 (एस.सी.) ए.सी.सी. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी
3. (1994) 94 एस.टी.सी. 422 (एस.सी.) जे.के. सिन्थेटिक्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी
4. (2005) 141 एस.टी.सी. 12 (एस.सी.) ई.आई.डी. पैरी (इण्डिया) लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त
5. (1997) 106 एस.टी.सी. 460 (एस.सी.) इण्डिया कार्बन बनाम स्टेट ऑफ आसाम
6. (1994) 95 एस.टी.सी. 188 (एस.सी.) फ्रिक इण्डिया लिमिटेड व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा
7. (2001) 122 एस.टी.सी. 410 (एस.सी.) मारुति वायर इण्डिया प्रा0 लिमिटेड बनाम सेल्स टैक्स ऑफिसर
8. (2000) 120 एस.टी.सी. 396 (केरल) एवरशाईन प्लास्टिक बनाम सहायक आयुक्त (असेसमेंट) सेल्स टैक्स ऑफिस कन्नूर
9. (1996) 103 एस.टी.सी. 491 (पंजाब एण्ड हरियाणा) ओसवाल स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ पंजाब
10. (2002) 127 एस.टी.सी. 218 (पंजाब एण्ड हरियाणा) बंशी राईस मिल बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा
11. (2006) 143 एस.टी.सी. 323 (पंजाब एण्ड हरियाणा) प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स बनाम स्टेट ऑफ पंजाब
12. (2007) 10 वी.एस.टी. 259 (पंजाब एण्ड हरियाणा) परी मोटर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि खण्डपीठ द्वारा ब्याज के बिन्दु पर न तो विचार किया गया न ही प्रस्तुत उक्त न्यायिक निर्णयों पर विचार किया गया। यह रेकॉर्ड से परिलक्षित भूल है, जिसे संशोधित किया जाना चाहिये। तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आयकर के प्रकरण में निर्णय 249 आई.टी.आर. 323 आयुक्त, आयकर बनाम रमेश चन्द्र तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय डायमण्ड सीमेंट बनाम कमिश्नर ऑफ ट्रेड टैक्स, उत्तरप्रदेश (2007) 7 वी.एस.टी. 421 के उद्धरण पेश किये।

उक्त आधार पर निर्णय को संशोधित कर ब्याज राशि पर भी स्थगन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।



लगातार.....4



—: 4 :- 1-15 परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-30/14 से 44/2014/भरतपुर.

अप्रार्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि खण्डपीठ ने समग्र रूप से प्रकरणों में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थियों के पक्ष में नहीं होने के कारण अपीलार्थीगण की अपीलों को अस्वीकार करते हुए ब्याज वसूली पर रोक से इंकार किया है। निर्णय में रेकॉर्ड से कोई भूल परिलक्षित नहीं होती है, इसलिए संशोधन प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य नहीं हैं। अग्रिम कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण उद्ग्रहणीय या देय कर की भुगतान हेतु विहित अवधि के पश्चात भुगतान करने पर किया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित निर्णय राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (जिसे आगे 'पुराना अधिनियम' कहा जायेगा) की 7.4.1979 से पूर्व अवधियों के प्रावधानों के तहत अवधारित किये गये हैं, इसलिए उक्त निर्णय इन प्रकरणों में प्रभावशील नहीं हैं। अतः परिशोधन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, अपील आधारों तथा उद्धरित निर्णयों का अवलोकन किया गया। विवादित अपील निर्णयों का भी अवलोकन किया गया।

अपील के आधार के पैरा संख्या 18 में अपीलार्थी ने ब्याज के बिन्दु पर स्थगन भी चाहा गया था तथा तर्क दिया था कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं द्वारा त्रैमासिक विवरण-पत्रों में घोषित कर समय पर जमा करा दिया था तथा वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत अतिरिक्त कर पर ब्याज देय नहीं था। तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 95 एस.टी.सी. 188, 104 एस.टी.सी. 362, 103 एस. टी.सी. 491, 120 एस.टी.सी. 396, 1996 एस.टी.आई. 297, 99 यू.पी.टी.सी. 1, 200 यू.पी.टी.सी. 889, 20001 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू 1368, (2001) 8 एस. टी.टी. 139 का हवाला दिया था। आधार के पैरा 19 में वेट अधिनियम की धारा 55 अनुसार विवरण पत्रों में देय कर भुगतान में देरी नहीं होने के कारण ब्याज आरोपण को गलत बताते हुए पूरी शास्ति व ब्याज का स्थगन चाहा गया था।

अपील निर्णय में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के शास्ति सम्बन्धी तर्कों को अंकित किया गया है तथा स्थगन भी स्वीकार किया गया है, लेकिन ब्याज के विषय में तर्क बहस में शामिल नहीं किये गये हैं। यह भूल रेकॉर्ड से परिलक्षित हो रही है। उद्धरित निर्णयों 249 आई.टी.आर. 323 (राजस्थान) व (2007) 7 वी.एस.टी. 421 (इलाहाबाद) में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। निर्णय का सुसंगत अंश इस प्रकार है :-



लगातार.....5

**".....It is settled principle of law that the Tribunal is duty bound to consider the grounds taken in the grounds of appeal and argued at the time of hearing of the appeal. If such ground has not been dealt with in the order, it amount to an apparent mistake."**

अपील सुनवाई के समय उद्धरित निर्णयों की कोई प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, बल्कि ब्याज के विषय में पुराने अधिनियम व वेट अधिनियम के प्रावधानों को उद्धरित करते हुए लिखित बहस प्रस्तुत की थी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि वेट अधिनियम की धारा 55 अनुसार जहां कोई व्यक्ति या व्यवहारी उद्ग्रहणीय (Leviable) या देय (Payable) कर के भुगतान में व्यतिक्रम करता है तो ऐसे भुगतान के लिये निर्धारित अवधि से भुगतान का तिथि तक के लिये ब्याज देय है। अग्रिम कथन है कि वेट अधिनियम की धारा 20(1) में अधिसूचित अवधि में लेखा-पुस्तकों के अनुसार भुगतान किया जाना अंकित है। इस धारा के तहत जारी अधिसूचना में प्रभारित (charged) या संग्रहित (collected) कर के भुगतान के प्रावधान है। वेट अधिनियम की धारा 21 सपठित नियम 19 के तहत विवरण-पत्र के साथ रिटर्न में वर्णित कर जमा कराने के प्रावधान है। इन आधारों पर अतिरिक्त आरोपित कर पर कर निर्धारण के पश्चात ही ब्याज आरोपित किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक के ये तर्क मान्य नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पुराने अधिनियम के तहत दिनांक 2.5.1969 से पूर्व कर समय पर जमा नहीं कराने पर धारा 16(1)(बी) के तहत शास्ति का प्रावधान था, 2.5.69 के पश्चात धारा 11बी के तहत कर के निर्धारण (Quantification) के पश्चात समय पर जमा नहीं कराने पर ब्याज आरोपणीय था। पुराने अधिनियम की धारा 11बी के अन्तर्गत दिनांक 7.4.1979 से उपधारा (f) प्रभावी होने के पश्चात अतिरिक्त करारोपण पर मूल देय तिथि से ब्याज आरोपण का प्रावधान किया गया है। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 व वेट अधिनियम के तहत ब्याज के प्रावधानों में कर उद्ग्रहणीय (leviable) व देय (Payable) शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि वेट अधिनियम के अन्तर्गत leviable or payable कर जमा नहीं होने पर विहित देय तिथि के पश्चात भुगतान तिथि तक देरी के लिये ब्याज आरोपणीय है। वेट अधिनियम की धारा 20(1) के तहत भी अधिनियम के तहत कर देय (Payable) व्यवहारी के लेखों के आधार पर जमा कराना विहित है। इस प्रावधान के तहत जारी अधिसूचना संख्या एफ. 12(63)एफडी/टैक्स/2005-157 दिनांक 31.3.2006 के तहत श्रेणी विशेष के

—: 6 :- 1-15. परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या-30/14 से 44/2014/भरतपुर.

व्यवहारियों द्वारा निर्धारित अवधि में प्रभारित या संग्रहित कर को विहित अवधि में राजकोष में जमा कराये जाने के निर्देश हैं। वेट अधिनियम की धारा 21 Filing of Return में व्यवहारी द्वारा अधिनियम के तहत कर दायित्व को स्वयं निर्धारित कर उसका रिटर्न प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान है।

ज्ञातव्य है कि ब्याज के विषय में प्रभार्य प्रावधान धारा 55 है, जिसके अनुसार वेट अधिनियम के तहत उद्ग्रहणीय (Leviable) या देय (Payable) विहित समय में जमा नहीं कराये जाने पर ब्याज आरोपणीय है।


विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित निर्णयों में (1965) 16 एस.टी.सी. 318 (एस.सी.), (1994) 94 एस.टी.सी. 422 (एस.सी.), 118 एस.टी.सी.


में पुराने अधिनियम की दिनांक 7.4.79 से पूर्व की धारा 11बी की विधिक स्थिति के आधार पर सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 94 एस.टी.सी. 422 का 95 एस.टी.सी. 188, 120 एस.टी.सी. 396, 106 एस.टी.सी. 460, 103 एस.टी.सी. 491, 127 एस.टी.सी. 218, 143 एस. टी.सी. 12, 122 एस.टी.सी. 410, 10 वी.एस.टी. 259 आदि में अनुसरण किया गया है। इसलिए वर्तमान वेट अधिनियम के प्रावधानों पर ये निर्णय लागू नहीं होते हैं। विद्वान अभिभाषक ने कर के निर्धारण (Quantification) पर जोर दिया गया है, लेकिन वेट अधिनियम की धारा 55 (1994 के अधिनियम की धारा 58) अनुसार कर उद्ग्रहणीय (Leviable) या देय (Payable) के आधार पर विहित अवधि के पश्चात भुगतान पर ब्याज प्रभार्य है। उक्त अनुसार निर्णयों का विश्लेषण कर किसी प्रकरण में लागू करना रिकॉर्ड पर उपलब्ध भूल की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि परिशोधन का वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत क्षेत्र बहुत ही सीमित है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 (SC) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड़ प्लास्टिक एजेंसीज में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

अपील निर्णयों में ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक व विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक की बहस तथा इस पीठ के उक्त मत को समाहित किया जाकर इस अंश तक संशोधन जोड़ा जाता है। अपीलों के निर्णय में निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात् निष्कर्ष यथावत रहेगा।

उक्त अनुसार संशोधन प्रार्थना-पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

  
19.5.2014  
( मदन लाल )  
सदस्य

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
19/5/14